"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च 2006 – फाल्गुन 10, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी, 2006

क्रमांक 12/छ.रा.वि.नि.आ./2006, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36)की धारा 45, 61 व 62 सहपठित धारा 181 (जेड डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तों एवं निबन्धन के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006

अध्याय–1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006 कहे जावेंगे।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगें।

(3) ये विनियम संम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे।

2. **उपयोजन का विस्तार**

(1) ये विनियम उन समस्त प्रकरणों में लागू होगें जहां आयोग द्वारा पूंजी लागत पर आधारित विद्युत टैरिफ का निर्धारण किया जाना है।

(2) तथापि, जहां बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्रीय शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ निर्धारित हुआ है, ऐसे टैरिफ को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग अंगीकार करेगा।

3. **परिभाषाऐं**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों;

(ए) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36);

(बी) **''बैंक दर''** से अभिप्रेत है प्रासंगिक वर्ष में पहली अप्रैल को लागू भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर;

(सी) **''केन्द्रीय आयोग''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

(डी) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(ई) **''संविदा विद्युत''** से अभिप्रेत है, मेगावॉट में विद्युत जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी वितरण प्रणाली पर व्हील करने की स्वीकृति दी हो;

(एफ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में **''प्रचालन तिथि''** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के घोषित वोल्टेज स्तर पर उप केन्द्र अथवा विद्युत लाइन चार्जिंग की तिथि। उन प्रकरणों में जहाँ लाइनें/उपकेन्द्र चार्ज करने हेतु तैयार हों परंतु, उन कारणों जिनके लिये अनुज्ञप्तिधारी जिम्मेदार न हो, अनुज्ञप्तिधारी उन्हें चार्ज न कर पारहा हो तो उनके चार्जिंग के लिये तैयार घोषित होने के 7 दिनों के बाद की तिथि पर उन्हें चार्ज किया माना जावेगा;

(जी) **''घोषित वोल्टेज''** से अभिप्रेत है, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 54 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट वोल्टेज;

(एच) **''वितरण हानि''** से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली में विद्युत हानि;

(आई) **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसे धारा 14 के अनुज्ञप्ति दी गई हो और इसमें अधिनियम की इसी धारा के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी समझा गया व्यक्ति शामिल होगा;

(जे) **''एस.एल.डी.सी.''** से अभिप्रेत है, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर;

(के) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(एल) **''टैरिफ''** से अभिप्रेत है शर्तों एवं निबन्धनों सहित थोक आपूर्ति व्हीलिंग एंव चिल्हर विद्युत आपूर्ति की प्रभार सूची;

(एम) **''टैरिफ अवधि''** से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके लिये टैरिफ तथा/या इस विनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अवधारण किया गया है;

(एन) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, तथा

(i) **''चालू वर्ष''** से अभिप्रेत है, वर्ष जिसमें वार्षिक लेखा अथवा टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है;

(ii) **''पूर्व वर्ष''** से अभिप्रेत है, चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष;

(iii) **"आगामी वर्ष"** से अभिप्रेत है चालू वर्ष का अगला अनुगामी वर्ष।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें यहाँ विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम तथा आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों में दिया गया है।

अध्याय–2 : उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ

4. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004 में बताई गई रीति तथा प्रपत्रों में, उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ अवधारण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन (टैरिफ याचिका) देगा। आयोग, प्रपत्रों में समय–समय पर संशोधन या सुधार कर सकेगा।

5. शर्तें एवं निबन्धनः

(1) उत्पादन कम्पनी (जलीय एवं तापीय) तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ अवधारण हेतु; आयोग; राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति एवं अधिनियम की धारा 61(ए) से (एच) में वर्णित सिद्धातों से मार्गदर्शन लेगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2004 में वर्णित सिद्धांतों तथा रीतियों का अनुसरण करेगा।

(2) केन्द्रीय आयोग के विनियमों में अंतर्विष्ट उपलब्धता के लक्ष्य, प्लाण्ट लोड फैक्टर, इत्यादि के मानदण्डों के बजाय वर्तमान उत्पादन केन्द्र की क्षमता, आयु तथा पूर्व के निष्पादन अभिलेखों के आधार पर आयोग, उदार मानदण्ड निर्धारित कर सकेगा। ऐसे उदार मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

(3) राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा अधिनियम की धारा 61(एच) के अनुसरण में, सह–उत्पादन रीति तथा गैर परंपरागत स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत के टैरिफ निर्धारण में भी, आयोग, उदार मानदंडों का अनुगमन कर सकेगा है।

अध्याय–3 : वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ

6. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004 में बताई गई रीति तथा प्रपत्रों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ अवधारण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन (टैरिफ याचिका) देगा। आयोग, प्रपत्रों में समय–समय पर संशोधन या सुधार कर सकेगा।

7. आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये टैरिफ अवधारण में अधिनियम की धारा 61(ए) से 61(एच) तक वार्णित सिद्धातों, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति से मार्ग दर्शन लेगा।

8. सेल्स फोरकास्ट (विक्रय–पूर्वानुमान)

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति–क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की सकल सीमित तथा असीमित माँग (मेगावाट में) तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विक्रित विद्युत की जानकारी पूर्व वर्ष, तथा चालू वर्ष एवं आगामी वर्ष के पूर्वानुमान के रूप में प्रस्तुत करेगा। श्रेणी–वार विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान सामान्यतः 5 वर्ष के सी.ए.जी.आर के आधार पर किया जायेगा ।

(2) मीटर रहित श्रेणी के लिये विक्रय पूर्वानुमान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये समुचित अध्ययन के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों पर मान्य होगा।

(3) उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोग, विद्युत क्षति, पूर्व–वर्षों की विद्युत मांग तथा आगामी वर्ष में प्रत्याशित वृद्धि तथा कोई अन्य फैक्टर, जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर आयोग पूर्वानुमानों की पर्याप्तता की जांच करेगा, तथा ऐसे सुधारों, जिन्हें आयोग उचित समझे, के साथ विक्रय पूर्वानुमान अनुमोदित करेगा ।

(4) विद्युत व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को यदि विद्युत विक्रय किया जाना है तो उसे अलग से दर्शाया जायेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा श्रेणीवार ओपन एक्सेस ग्राहकों को भी बतलाया जावेगा। उनकी मांग तथा व्हील की जाने वाली विद्युत को भी अलग से निम्नानुसार बताना होगा :–

(a) आपूर्ति–क्षेत्र के भीतर की जाने वाली आपूर्ति, तथा

(b) आपूर्ति–क्षेत्र के बाहर की जाने वाली आपूर्ति ।

9. उपभोक्ताओं को विक्रित की जाने वाली विद्युत की मानिटरिंग

(1) अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष में मांग के मौसमी फेर–बदल को ध्यान में रखते हुये विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मासिक–विक्रय की आवश्यकता को अनुज्ञप्तिधारी निकालेगा।

(2) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के विद्युत उपभोग को अनुज्ञप्तिधारी मानीटर करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता की आपूर्ति अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जाए ।

(3) सूखा जैसी असामान्य स्थिति में यदि किसी श्रेणी के उपभोक्ता की आपूर्ति में विचलन किया जाना है तो अनुज्ञप्तिधारी को आयोग का अनुमोदन लेना होगा।

10. वितरण हानि

(1) किसी विशेष वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वितरण प्रणाली में मूलतः अंतःक्षेपित ऊर्जा एवं उस वोल्टेज स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को विक्रीत कुल ऊर्जा धन उस विशेष वोल्टेज स्तर के नीचे के स्तर को दी गई ऊर्जा का अंतर होगी। अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर निर्धारित अमीटरीकृत विक्रय एवं मीटरीकृत विक्रय का योग विक्रित ऊर्जा होगी। तथापि अनुज्ञप्तिधारी संपूर्ण वितरण प्रणाली के लिए वितरण हानि प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) वितरण हानि की आधार रेखा तय करने के लिए आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करेगा कि वह उसके अधीक्षण में समुचित हानि आँकलन अध्ययन पूरा करे या स्वयं आयोग अध्ययन प्रारंभ कर सकेगा।

(3) इस अध्ययन में आपूर्ति वोल्टेजवार तथा उपभोक्ता श्रेणीवार तकनीकी हानि (अर्थात् लाइन उपकेन्द्र एवं उपस्कर में ओहमिक/कोर हानि) और वाणिज्यिक हानि (अर्थात् गलत/अनुपयुक्त मीटरिंग तथा तथा विद्युत चोरी के कारण) पृथक निकाली जायेंगी।

(4) आयोग, अध्ययन के आधार पर आगामी वर्ष के लिये एक यथार्थवादी एवं निष्पाद्य लक्ष्य (हानि कम करने हेतु) अनुमोदित करेगा। ऐसा अध्ययन उपलब्ध न होने की दशा में आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत हानियों पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऐसा लक्ष्य, जिसे आयोग उचित समझे, निर्धारित करेगा।

(5) निपुणता के स्वीकार्य मानदंड तक विद्युत हानि स्तर को धीरे–धीरे नीचे लाने (हानि घटाने) हेतु दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों लक्ष्य, आयोग, तय कर सकता है।

(6) बेहतर प्रशासन के लिये प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक ए.टी. सी. हानि वाले विशेष क्षेत्र/स्थान पर अधिभार लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8.2.1(2) के प्रावधान के अनुसार विद्युत हानि कम करने से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के लिये क्षेत्रीय आधार पर उचित प्रोत्साहन और दण्ड राशि लगाये जाने की योजना को, आयोग, बढ़ावा दे सकता है।

(7) आयोग द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में हानि घटाने में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने पर प्राप्त वित्तीय लाभ में से कुछ अंश वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी दिया जाना चाहिये। अंश कितना दिया जाय यह आयोग तय करेगा।

(8) आयोग द्वारा नियत लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी विफलता के कारण हुई हानि को वितरण अनुज्ञप्तिघारी वहन करेगा।

11. विद्युत के क्रय की आवश्यकता का आँकलनः

(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित विद्युत विक्रय पूर्वानुमान तथा आगामी वर्ष के लिये अनुमोदित वितरण हानि, तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण हानि के आधार पर, क्रय की जाने वाली विद्युत आवश्यकता निकाली जायगी।

(2) आगामी वर्ष हेतु विद्युत के क्रय की आवश्यकता की सूक्ष्म जांच आयोग द्वारा की जायगी और उपयुक्त समझे गये परिवर्तन सहित इसे आयोग अनुमोदित करेगा।

12. ऋण–पूंजी अनुपात

(1) दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके बाद स्थापित नई वितरण लाइन अथवा उपकेन्द्र या क्षमता विस्तार के प्रकरण में टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से ऋण तथा लागत पूँजी की अंशपूँजी को 70:30 के अनुपात में माना जावेगा।

परंतु जहाँ अंशपूँजी 30% से अधिक है, टैरिफ के प्रयोजन हेतु अंशपूँजी की राशि को 30% तक ही सीमित माना जावेगा तथा अतिशेष राशि को ऋण के रूप में माना जावेगा। उपरोक्त 30% से अधिक अंशपूँजी को कर्ज माना जावेगा तथा उस पर लागू ब्याज दर का उल्लेख खंड 20 में किया गया है।

परंतु जहां वास्तविक अंशपूँजी 30% से कम है, वहां वास्तविक अंशपूँजी को माना जायेगा।

परंतु, यह भी कि आयोग उपयुक्त मामलों में, जहाँ वितरण कंपनी आयोग की संतुष्टि हेतु यह स्थापित करने में समर्थ हो कि लगाई गई 30% से अधिक की अंशपूँजी जनहित में थी, टैरिफ निर्धारण हेतु 30% से अधिक की अंशपूँजी को भी अंशपूँजी मान सकेगा।

(2) वर्तमान वितरण प्रणाली हेतु दिनाँक 01–04–2005 से पूर्व किये गये विनियोग प्रकरण में, ऋण पूंजी अनुपात, संपरीक्षित लेखा के आधार पर स्वीकार किया जायेगा। वर्ष 2004–2005 हेतु संपरीक्षित लेखा उपलब्ध न होने की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2004–2005 का अपरीक्षित लेखा, पूर्ववर्ती वर्षो में से किसी निकटतम वर्ष के उपलब्ध संपरीक्षित लेखे के साथ प्रस्तुत करेगा।

13. लागत पूंजी एवं पूँजी का ढांचा

(1) आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन, वाणिज्य प्रचालन की तिथि पर वास्तविक पूंजी व्यय, टैरिफ निर्धारण हेतु आधार होगा।

(2) मूल परियोजना लागत के 1.5% तक पूंजीकृत प्रारंभिक अतिशेष, पूंजी–लागत में शामिल होंगे।

(3) पूंजी–लागत पर उच्चतम सीमा हेतु जहां विद्युत क्रय अनुबंध अथवा ट्रांसमिशन या व्हीलिंग अनुबंध में पूँजीगत लागत पर उच्चतम सीमा का प्रावधान उपलब्ध है, विचरित पूंजी–लागत ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगी।

(4) विधमान वितरण प्रणाली के मामले में, पूंजीगत लागत संपरीक्षित लेखा पर आधारित होगी। संपरीक्षित लेखा उपलब्ध न होने पर अनंतिम लेखे के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

(5) पूंजी–लागत, वित्त पोषण योजना, निर्माण काल में ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, तथा टैरिफ निर्धारण हेतु ऐसी अन्य बातों के संबंध में लागत आँकलन की छानबीन (समीक्षा) आयोग द्वारा की जायेगी।

(6) विदेशी मुद्रा पूंजी तथा विदेशी मुद्रा ऋण के विनिमय की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि टैरिफ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा ऐसे विनिमय से प्राप्त लाभ को विनिमय के वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में बांटा जायगा।

(7) अंशपूंजी या ऋण के अनुपात में पूंजी लागत के पुनर्गठन की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि अनुवर्ती अवधि में टैरिफ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा ऐसे पुनर्गठन से होने वाला लाभ, आयोग द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट अनुपात में, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाये।

(8) आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आगामी वर्ष में भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण, उपभोक्ता सेवाओं इत्यादि की आवश्यकता से निपटने हेतु वित्त पोषण योजना सहित एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तुत करेगा। अनुमोदित पूंजी निवेश योजना तथा अनुमोदित योजना से संबंधित लागत को राजस्व आवश्यकता के आँकलन में शामिल किया जायगा।

14. अतिरिक्त पूंजीकरण

(1) सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन, वाणिज्य प्रचालन की तिथि के बाद, कार्य के मूल विस्तार के भीतर वास्तव में हुए निम्नांकित पूंजी व्यय पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता हैः–

(ए) आस्थगित दायित्व कार्य।

(बी) निष्पादन हेतु आस्थगित निर्माण।

(सी) खंड–13 में लिखित मानदडों की सीमा के अधीन, मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक स्पेयर्स की प्राप्ति।

(डी) मध्यस्थ पंचाट अथवा न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन करने का दायित्व।

(इ) विधि परिवर्तन के फलस्वरूप किया गया व्यय।

(एफ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवायें जो वितरण प्रणाली के प्रभावी व सफल प्रचालन हेतु अवश्यभावी बन गया हो, परंतु मूल पूंजी लागत में शामिल नहीं हो।

टिप्पणी :–

(i). कार्य के मूल विस्तार के भीतर प्रतिबद्ध दायित्व के कारण अंगीकृत कोई व्यय तथा प्रौद्योगिक–आर्थिक आधार पर आस्थगित व्यय का भुगतान खंड 12 में उल्लिखित आदर्श ऋण पूंजी अनुपात में किया जायेगा।

(ii). मूल पूंजी लागत से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बट्टे खाते में डालने के बाद पुरानी आस्तियों के प्रतिस्थापना के किसी व्यय पर विचार किया जायेगा। पुरानी आस्तियों की प्रतिस्थापना हेतु, किये गये पूँजीगत व्यय में से अनुज्ञप्तिधारी को मिलने वाली पुरानी आस्तियों के रद्दी मूल्य घटाकर, पूँजीगत व्यय की सीमा तक स्वीकृत की जा सकेगी।

(iii). टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत कोई व्यय, जो कार्य के मूल विस्तार से अलग किसी नये कार्य के मद में हो, खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट मानक ऋण पूंजी के अनुपात में व्यवस्थित किया जायेगा।

(iv). नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, जीवन–विस्तार तथा प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त आस्तियों के प्रत्यावर्तन के टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत किसी भी व्यय को, मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियां की मूल राशि को बट्टे खाता में डालने के बाद खंड–12 में उल्लिखित आदर्श ऋण पूंजी अनुपात पर व्यवस्थित की जासकेगी।

(2) टैरिफ अवधि में एक बार, टैरिफ पर अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है।

15. कार्यकारी पूंजी

कार्यकारी पूंजी में निम्न बातें होनी चाहियेः–

(ए) एक माह के लिये संचालन एवं संधारण व्यय।

(बी) वार्षिक आवश्यकता के आधार पर दो माह के लिये अनुरक्षण स्पेयर्स। इसे वर्ष के प्रारंभ में सकल स्थायी आस्तियों के 1% तक मान्य किया जावेगा।

(सी) उपभोक्ताओं की 60 दिन की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्त आय।

(डी) मुक्त उपयोग के ग्राहकों से 60 दिन के व्हीलिंग प्रभार के बराबर प्राप्त आय।

16. विद्युत के क्रय की लागत

(1) इस संबंध में आयोग द्वारा निर्मित विनियम/मार्गदर्शन के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत प्राप्त करेगा ।

(2) ट्रान्समिशन लागत सहित जनरेटिंग कम्पनी से क्रय की जाने वाली विद्युत लागत को आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन के टैरिफ के आधार पर निकाला जायेगा।

(3) उपरोक्त उप–खंड (1) के अधीन व्यापारियों व अन्य अनुज्ञप्तिधारियों से किये गये पी.पी.ए. के आधार पर विद्युत के क्रय की लागत पर विचार किया जायेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाली इकाई से विद्युत उत्पादन लागत और उसके द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय, आयोग द्वारा निर्धारित अंतरण मूल्य पर आधारित होगा।

(5) अल्पकालिक विद्युत अभाव होने पर अनुज्ञप्तिधारी किसी भी स्रोत से विद्युत ले सकता है जो आयोग द्वारा अनुमोदित उच्चतम दर से अधिक न हो।

(6) सह–उत्पादन इकाइयों व गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय के प्रकरण में, यदि ऐसे उत्पादकों के लिये कोई नीति आयोग द्वारा अनुमोदित हो तो ऐसे स्त्रोतों से न्यूनतम प्रतिशत क्रय को ध्यान रखकर, लागत निकाली जायेगी।

(7) आगामी वर्ष में अपने उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता के लिये कुल विद्युत क्रय लागत का आँकलन गुणागुण आदेश (मेरिट आर्डर) सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

(8) नेटवर्क के उपयोग हेतु प्रभार के अलावा, यदि अलग से एस.एल.डी.सी. प्रभार का भुगतान किया जाता है तो उसे व्यय के रूप में लिया जायेगा तथा टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु विद्युत क्रय लागत में शामिल किया जायेगा।

(9) अनुज्ञात विद्युत क्रय दर के औसत पर यू आई प्रभार स्वीकृत किया जायेगा। तथापि, उच्चतर लागत को स्वीकृत किया जा सकता है यदि आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी क्रय की गई विद्युत का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु किया गया था।

17. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय में, कर्मचारी लागत, मरम्मत व अनुरक्षण लागत, प्रशासनिक व सामान्य लागत तथा बीमा सहित अन्य प्रकीर्ण व्यय शामिल होते हैं। वितरण प्रणाली की पूंजी लागत के निश्चित प्रतिशत के रूप में, आयोग, आधार वर्ष हेतु आदर्श प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा कठिन भूभाग (दुर्गम स्थानों) के लिये भी अलग मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) पट्टे पर ली गई संपत्ति तथा उपभोक्ताओं के योगदान से बनी संपत्ति के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय पर आयोग विचार करेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व इसके प्रचालन व अनुरक्षण के लिये है और प्रचालन व अनुरक्षण व्यय का भुगतान भी उसे ही वहन करना हो।

(3) टैरिफ वर्ष हेतु प्रचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने हेतु, पूर्व निश्चित सूचकांक जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा लागत प्रभावित करने वाली अन्य बातों के आधार पर जैसे नेटवर्क विकास, ऊर्जा विक्रय, उपभोक्ता में वृद्धि, अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण, आदि, आयोग द्वारा प्रज्ञा जांच के अधीन, के अनुसार आधार वर्ष के आदर्श प्रचालन व अनुरक्षण अनुज्ञात व्यय को बढ़ाया जाना स्वीकार किया जायेगा।

(4) युद्व, विप्लव, विधि में परिवर्तन अथवा इस तरह की संभाव्य घटनाओं के कारण प्रचालन व अनुरक्षण प्रभार में वृद्धि पर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है ।

(5) अनुज्ञात प्रचालन व अनुरक्षण में की गई बचत का प्रतिधारण करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी। उसी तरह, अनुज्ञप्तिधारी को उस वर्ष हेतु अनुज्ञात प्रचालन व अनुरक्षण व्यय से अधिक व्यय करने पर, क्षति का वहन स्वयं करना होगा ।

18. अवमूल्यन

(1) टैरिफ प्रयोजन हेतु अवमूल्यन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु, अस्तियों की ऐतिहासिक लागत अर्थात् वास्तविक व्यय तक सीमित अनुमोदित/स्वीकृत पूंजी लागत, आधार मूल्य होगा।

परन्तु यह कि निर्मित अस्तियों की पूंजी लागत तथा 1/4/2005 को चल रहे कार्यों को अनुमोदित समझा जायेगा; तथा

अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु उपभोक्ता का योगदान अथवा पूंजी/अनुदान आदि को अस्तियों के मूल्य से अपवर्जित किया जावेगा।

(2) विदेशी मुद्रा के लिये जाने के समय तत्समय में प्रचलित विनियम दर के अनुसार रूपयों में विदेशी मुद्रा की राशि को अनुमोदित /स्वीकृत लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) इस विनियम के परिशिष्ट में दर्शायी गयी दर पर आस्तियों के उपयोगी जीवन पर सरल रेखा रीति के अनुसार अवमूल्यन की वार्षिक गणना की जायेगी। इन दरों का उल्लेख केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत दर की शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2004 में किया गया है। आयोग द्वारा समय–समय पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

(4) परंतु यह कि आस्तियों के जीवन में कुल गिरावट, आस्तियों की मूल लागत के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(5) समस्त ऋण के प्रति–संदाय पर शेष अवक्षय योग्य मूल्य को, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर फैलाया जायेगा।

(6) प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही अवमूल्यन प्रभार्य होगा। वर्ष के भाग हेतु, आस्तियों के प्रचालन के प्रकरण में, अनुपातिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जायेगा।

19. अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम

अनुज्ञात अवमूल्यन के अलावा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्न रीति में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम स्वीकार किया जायेगा–

अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (AAD) = खंड 12 के अनुसार ऋण राशि की 1/10 राशि की सीमा तक खण्ड 20 के अनुसार ऋण अदायगी की राशि– अनुसूची के अनुसार अवमूल्यन।

परंतु यह कि अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि, वर्ष तक के संचित प्रतिसंदाय एवं संचित अवमूल्यन के अंतर तक सीमित होगी।

20. ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार

(1) संबन्धित डिबेंचर, बन्धपत्र (बांड) या ऋण के अनुबंध की शर्तों और निबन्धन के अनुसार, प्रतिसंदाय की अनुसूची पर सम्यक रूप से विचार करके बकाया ऋणों की ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार की गणना की जायेगी।

30% के ऊपर की अंशपूंजी, जिसे ऋण माना जायेगा, पर अनुज्ञप्तिधारी की ऋण योजना की भारित औसत दर के अनुसार ब्याज दर लगाई जायेगी।

परंतु यह कि रिनिगोशिएटेड ऋण अनुबंध के ब्याज तथा वित्त प्रभार पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि उनका परिणाम उच्चतर प्रभार हो।

परन्तु यह और कि प्रगति में कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार को इसमें शामिल नहीं किया जावेगा तथा उसे पूंजी लागत के भाग के रूप में माना जावेगा।

(2) अधिस्थगन अवधि का लाभ लेने की दशा में, अधिस्थगित वर्षों में, टैरिफ में अनुमत अवमूल्यन को, इन वर्षो में पुर्नभुगतान माना जावेगा और ब्याज की गणना के उद्देश्य से अवमूल्यन की सीमा तक ऋण पूंजी में कमी की जायेगी।

(3) ऋण पर ब्याज तथा ऋण के विनियम से प्राप्त लाभ उपभोक्ताओं को उस अनुपात में दिया जायेगा, जैसा आयोग तय करे।

21. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार

खण्ड 15 के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर, ब्याज दर की गणना आदर्श आधार पर की जावेगी। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी अभिकरण से कार्यकारी पूंजी ऋण नहीं लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण आदर्श अंकों से अधिक हो, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज आदर्श आधार के अनुसार होगा।

22. प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज दर

अनुज्ञप्तिधारी के पास उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 में यथा–विनिर्दिष्ट दर पर दिया जायेगा।

23. डूबत एंव शंकास्पद रकम

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्व वर्ष में डूबत व शंकास्पद रकम को वास्तव में बट्टे खाते में डालने के अधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्ति योग्य राशि के 1 प्रतिशत तक की राशि को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान पर आयोग विचार कर सकेगा।

24. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु, लीज अनुबंध के अनुसार पट्टा प्रभार पर विचार किया जावेगा, बशर्ते आयोग उन्हें युक्ति संगत समझे।

25. आकस्मिक रक्षित धन

(1) प्रारंभिक सकल नियत आस्तियों के 0.5 प्रतिशत तक आकस्मिक रक्षित राशि के सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के प्रावधान हेतु आयोग विचार कर सकता है। इस प्रकार निर्मित आकस्मिक रक्षित राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा स्थितियों में दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों को बदलने की लागत की पूर्ति करने में होगा।

(2) इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को इस रक्षित निधि में मिलाया जायेगा।

(3) आयोग की पूर्वानुमति से ही इस रक्षित निधि से पैसा निकालने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को होगा।

(4) वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कमी के रूप में, आयोग द्वारा तय नियंत्रण अवधि के अंत में, इस रक्षित निधि का कुछ भाग उपभोक्ताओं को वापस लौटाने की अनुमति आयोग दे सकता है।

(5) इस रक्षित निधि के धन को रक्षित अंशपूंजी का भाग नहीं माना जावेगा।

26. विदेशी विनियम दर विचलन

विदेशी मुद्रा के ऋणों, जिन्हें रूपयों में नहीं बदला गया हो, सुसंगत वर्ष में ऋण भुगतान या ब्याज के भुगतान के कारण हुए अतिरिक्त रूपयों के दायित्व को ग्राह्य किया जा सकेगा; बशर्ते कि यह प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनियम दर विचलन से उत्पन्न हुआ हो न कि अनुज्ञप्तिधारी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों की चूक के फलस्वरूप हो। यह विचलन नियत भुगतान तिथि के बाद सातवें दिन की विनियम दर से अधिक नहीं होगा।

27. आय पर कर

(1) अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त व्यवसाय की आय–सरिता पर यदि कोई आयकर हो तो उसे व्यय माना जावेगा और टैरिफ में वसूल योग्य होगा। तथापि, अनुज्ञप्त व्यवसाय को छोड़कर, किसी अन्य आय पर लगे कर को टैरिफ के घटक के माध्यम से उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जायेगा। इस तरह की अन्य आय पर कर का संदाय अनुज्ञप्तिधारी को करना होगा।

(2) आय पर कर, यदि यथार्थतः देय है तो यह, प्रोत्साहन को छोड़कर, अनुज्ञात इक्विटी के रिटर्न पर कर तक सीमित होगा।

(3) कर हालिडे तथा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार वित्तीय हानियों को भविष्य के वर्षो में प्रत्यायोजन किया जा कर उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जायेगा।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाई गई विवरणी और निर्धारित आयकर में कोई कम या अधिक भुगतान की राशि, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, का समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

28. आयकर का अनन्तिम निर्धारण तथा एफ.ई.आर.वी.

टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु आयकर तथा एफईआरवी का अनंतिम आँकलन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा और खण्ड 26 एवं 27 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक आंकड़ों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा।

29. साम्या इक्विटी पर प्रत्यावर्तन

(1) खंड 12 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु निकाली गई भुगतान योग्य साम्या पूँजी पर केन्द्रीय आयोग द्वारा पारेषण के लिये अधिसूचित प्रत्यावर्तन दर, अपनाई जायेगी। तथापि, ऊँचे जोखिम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विनिश्चित समुचित संशोधित दर भी अपनाई जा सकेगी

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय प्राप्त प्रीमियम तथा मुक्त संचिति में से निकाले गये आंतरिक स्त्रोत, यदि कोई हो तो, जो कि परियोजना फण्डिंग में लगाये गये हैं, उसे भी पूंजी पर प्रत्यावर्तन की गणना हेतु सम्मिलित किया जायेगा, बशर्ते कि ऐसे प्रीमियम की राशि तथा आंतरिक स्त्रोतों का उपयोग वास्तव में वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय के लिये किया गया हो।

(3) विदेशी विनियम में निवेशित पूंजी पर निर्धारित सीमा के अनुरूप पूंजी पर प्रत्यावर्तन उसी विदेशी मुद्रा में दिया जायेगा तथा इसकी राशि का अवधारण भारतीय रूपयों में बिलिंग की नियत तिथि पर प्रचलित विदेशी विनियम दर के आधार पर किया जायेगा।

30. वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(1) अनुज्ञप्तिधारी का कुल वार्षिक व्यय तथा अंशपूंजी प्रत्यावर्तन की गणना, खण्ड 29 में उल्लिखित अनुज्ञात व्यय तथा प्रत्यावर्तन के आधार पर की जायेगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता, निम्नलिखित को उसके कुल व्यय में से घटा कर, निकाली जायेगी तथा उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन प्रत्यावर्तन की गणना की जायेगीः–

(ए) खंड 30 के अनुसार अन्य आय की राशि; तथा

(बी) किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता वर्ग के लिये अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत आर्थिक सहायता के अतिरिक्त राज्य शासन से प्राप्त कोई अनुदान।

(3) अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के फलस्वरूप आवश्यक सुधारों को वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित किया जावेगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर ऐसे विचलन का प्रभाव वृहद् होने की दशा में, इसकी वसूली एक से अधिक वर्षों में, जैसा आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, की जायेगी।

31. राजस्व का अनुमान

विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू विद्युत दर तथा उन्हें विक्रित की जाने वाली विद्युत की मात्रा के आँकलन के आधार पर उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति से अनुज्ञप्तिधारी की आय अनुमानित की जायेगी।

32. अन्य आय

अन्य आय में निम्न शामिल होंगेः–

(1) विनियोजन से आय;

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एंव आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004 में सामान्य प्रभारों की अनुसूची में वर्णित प्रभारों के लगाये जाने से अन्य गैर–टैरिफ आय;

(3) मुक्त उपयोग के उपभोक्ताओं से व्हीलिंग प्रभार;

(4) अधिनियम की धारा 39, 40 एंव 42 के अनुसार मुक्त उपयोग के उपभोक्ताओं पर लगने वाले प्रभार, अतिरिक्त प्रभार तथा देरी से भुगतान पर अधिभार से होने वाली आय;

(5) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को अधिनियम की धारा 51 में, आयोग द्वारा अधिकृत सीमा तक, आय माना जायेगा।

33. लाभ का बंटवारा

किसी भी वर्ष में वार्षिक राजस्व आवश्यकता से अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ आय अधिक होने पर, अनुमोदित उचित आय से अधिक हुई अतिरिक्त आय को आयोग निम्नानुसार अनुज्ञात कर सकता हैः–

(ए) ऐसी राशि का आधा भाग अनुज्ञप्तिधारी अपने पास इक्विटी के रूप में रख सकेगा, या अंशधारकों को लाभांश के रूप में दिया जा सकेगा;

(बी) जैसा आयोग निर्देशित करे, भावी वर्षों में वार्षिक राजस्व आवश्यकता घटाने के लिये टैरिफ संतुलन रक्षित फण्ड के रूप में आधी राशि रखी जा सकेगी।

34. अतिरिक्त राशि का लौटाना

आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, प्रभार वसूल करेगा। आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक प्रभार यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी वसूलता है तो अतिरिक्त रकम को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, किन्हीं अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक दर पर मय ब्याज उस व्यक्ति को लौटाया जायेगा, जिसने यह अतिरिक्त प्रभार पटाया है।

टैरिफ के सिद्धांत

35. बहुवर्षीय टैरिफ

(1) पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिये, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ लागू कर सकेगा। तथापि, जानकारी के अभाव तथा व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए आरम्भिक नियंत्रण अवधि तीन वर्ष की कालावधि हो सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई जानकारी के सम्यक मूल्यांकन तथा सत्यापन के बाद, आयोग, आधार वर्ष के राजस्व तथा टैरिफ का अवधारण कर सकेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली स्वीकार योग्य लागतों को निर्धारित करने हेतु, आयोग, विशेषज्ञों की मदद ले सकेगा।

(4) लागतें जो नियंत्रण योग्य नहीं हैं, उन्हें टैरिफ में अनुमत किया जायेगा जिसमें निम्न (परंतु केवल निम्न तक सीमित नहीं) शामिल होगें:–

(ए) ईंधन की लागत;

(बी) मुद्रा स्फीति की वजह से लागत;

(सी) कर एवं शुल्क;

(डी) प्राकृतिक आपदा एवं सूखा जैसी विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के प्रकरण में जलीय एवं तापीय विद्युत के अनुपात में बदलाव सहित आधार स्तर से प्रति युनिट विद्युत क्रय के मूल्य में फेर–बदल।

(5) संचालन एवं संधारण की लागत नियंत्रण योग्य लागत होगी और आधार वर्ष के टैरिफ अवधारण में बतलायी गयी अन्य रीति या बढ़ोतरी के सूचकों पर आधारित होगी।

(6) आधार वर्ष के विद्युत ह्रास के स्तर के अनुसार, नियंत्रण अवधि के दौरान, तकनीकी एवं वाणिज्यिक ह्रास का लक्ष्य निर्धारित किया जायगा और ऐसे स्तर में विद्युत ह्रास के सही माप के लिये मीटरिंग प्रबंध के पूर्ण होने से फेर–बदल का व्यवस्थापन करने की गुंजाइश रखी जायगी। लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहने के कारण हुई किसी वित्तीय हानि का वहन अनुज्ञप्तिधारी करेगा और लाभ की भागीदारी, जैसा आयोग निश्चित करे, उपभोक्ताओं के साथ करनी होगी।

(7) वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त, नियंत्रण अवधि के समाप्त होने पर बहुवर्षीय टैरिफ, प्रणाली के परिपालन की विस्तृत समीक्षा की जायगी।

36. विद्युत सेवा का मूल्य

विभिन्न श्रेणियों/वोल्टेज के टैरिफ क्रमिक रूप में विशेष वोल्टेज पर विशेष श्रेणी को विद्युत प्रदाय करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की लागत को प्रकट करने वाले होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लगी समस्त लागत का सावधानी पूर्ण आवंटन विशेष श्रेणी के विद्युत प्रदाय मूल्य का निर्धारण करने का आधार होगा। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को अपने क्षेत्र के विद्युत सेवा के सही मूल्य का अध्ययन करा कर आयोग को सौंपना होगा। श्रेणीवार/वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय मूल्य की गणना हेतु प्रदाय के घंटे, लोड फैक्टर, वोल्टेज, तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों की सीमा आदि जैसे घटकों को शामिल किया जायेगा। श्रेणीवार/वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय के सही मूल्य को निकालने हेतु जानकारी की उपलब्धता के अभाव में विद्युत दर के अवधारण हेतु विद्युत प्रदाय के औसत मूल्य का, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान क्रास सब्सिडी क्रमशः कम होगी, उपयोग किया जायेगा।

37. टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

सरल, व्यापक तथा तर्कसंगत टैरिफ संरचना विकसित करने के उद्देश्य से, आयोग, उपभोक्ताओं की श्रेणियों तथा उपश्रेणियों के उपयुक्त विलय/अलग करने का सहारा टैरिफ निर्धारण में ले सकता है।

38. टैरिफ के घटक तथा टीओडी टैरिफ

(1) मांग पक्ष प्रबंधन एवं विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु अलग–अलग नियत एवं परिवर्तनीय प्रभारों का द्विभागीय टैरिफ तथा पीक एवं आफ–पीक घंटों हेतु भेदक टैरिफ बनाया जा सकेगा।

(2) टीओडी टैरिफ के कार्यान्वयन की समय सीमा तथा उपभोक्ताओं का वृहद वर्गीकरण आयोग द्वारा बताया जायेगा। भेदक टैरिफ बनाते समय, आयोग, पीक और आफ–पीक समयावधि भी बता सकेगा।

(3) विशेषकर उन उपभोक्ता श्रेणियों, जिनमें वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में मीटर नहीं लगे हैं, मीटर लगाने और मीटर में दर्ज की गई खपत के अनुरूप बिल करने को बढ़ावा देने हेतु, आयोग, प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान कर सकेगा। मीटर वाले टैरिफ और प्रोत्साहन राशि के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

39. पावर फैक्टर एवं लोड फैक्टर

प्रचालन क्षमता में दक्षता और अधिकतम क्षमता के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को, उच्च पावर फैक्टर और लोड फैक्टर रखे जाने पर, आयोग, रिबेट दे सकेगा। बढ़े हुए पावर फैक्टर का अपने आप लाभ देने के उद्देश्य से, आयोग, के.डब्ल्यू. एच. टैरिफ को के.वी.ए..एच. टैरिफ, में बदल सकेगा। तथापि, के.वी.ए.एच. बिलिंग अपनाये जाने के बावजूद भी मांग प्रभार लगना जारी रहेगा।

40. क्रास सब्सिडी

(1) उपभोक्ता की एक श्रेणी की आपूर्ति की लागत तथा उस उपभोक्ता श्रेणी से वसूली (उगाही), क्रास सब्सिडी का अनुमान करने हेतु आधार होगा।

(2) आयोग, टैरिफ का अवधारण इस रीति में करेगा कि इसे उत्तरोक्तर आपूर्ति लागत की ओर ले जाया जाय तथा क्रास सब्सिडी घटाते हुए, आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में इसे विलुप्त किया जायेगा।

तथापि, जब तक किसी उपभोक्ता श्रेणी का टैरिफ उस श्रेणी की आपूर्ति लागत के बराबर न हो और क्रास सब्सिडी दी जानी हो तो ऐसी श्रेणी का टैरिफ उस श्रेणी को आवंटित क्रास सब्सिडी के ध्यान में रखकर अवधारित किया जायेगा।

41. व्हीलिंग प्रभार

(1) उपभोक्ता श्रेणी का व्हीलिंग प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के शुद्ध ''वायर व्यवसाय'' की लागत पर आधारित होगा। इस तरह विद्युत क्रय लागत व उपभोक्ता के प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को छोड़कर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता के समस्त मदों की लागत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वायर व्यवसाय हेतु लागत होगी।

(2) आगामी टैरिफ की अवधि में प्रक्षेपित विद्युत विक्रय की मात्रा (युनिटों में) और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के द्वारा व्हील की गई विद्युत को लेकर कर व्हीलिंग प्रभार की

गणना की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आगामी वर्ष में व्हील की जाने वाली विद्युत मात्रा को विनिर्दिष्ट करना होगा।

(3) इस प्रकार से निकाले गये व्हीलिंग प्रभार को आपूर्ति वोल्टेज–वार प्रभाजित किया जायेगा। जब तक ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो, वोल्टेज पर ध्यान दिये बिना, व्हीलिंग प्रभार को समान दर पर निकाला जायेगा।

(4) व्हीलिंग प्रभार, रूपये प्रति किलोवाट हावर अथवा रूपये प्रति मेगावाट प्रतिदिन में एकल–भाग प्रभार होगा। तथापि, बाद के प्रक्रम में आयोग द्वि–भाग टैरिफ अनुमोदित कर सकता है।

(5) जिस वोल्टेज पर विद्युत का मुक्त उपयोग किया जाना है, उस वोल्टेज की वितरण प्रणाली के आदर्श ह्रास को विद्युत मात्रा के रूप में वहन करना होगा और इसे मुक्त उपयोग के ग्राहक के विद्युत खाते में से घटाया जायेगा।

42. परिवर्तननीय लागत समायोजन

(1) विद्युत उत्पादन की ईंधन संबंधी लागत या विद्युत क्रय, जल प्रभार के भुगतान, कर ढांचे में परिवर्तन तथा कोई अन्य अनवेक्षित व पूर्वानुमान से परे लागत, जिसका टैरिफ अवधारण के समय संज्ञान नहीं लिया जा सका, से अतिरिक्त प्रभारों की गणना हेतु, आयोग, समय–समय पर परिवर्तनीय लागत समायोजन सूत्र विर्निदिष्ट करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रभार की विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार गणना कर सकता है और आयोग के विधिवत अनुमोदन पश्चात् ऐसी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से उसकी वसूली कर सकता है।

43. थोक प्रदाय टैरिफ

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी अथवा/और विद्युत उत्पादक से विद्युत क्रय कर सकता है। एक समान चिल्हर टैरिफ तथा उपभोक्ता मिक्स के कारण उपलब्ध विभिन्न स्तर की क्रास सब्सिडी को सुनिश्चित करने हेतु, आयोग भिन्न थोक प्रदाय टैरिफ रख सकेगा। तथापि, इस स्थिति का पुनर्विलोकन आयोग समय–समय पर करेगा।

44. सब्सिडी का प्रावधान

(1) अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन यदि किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी देना तय करता है तो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, ऐसी आर्थिक सहायता से प्रभावित होने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, राज्य शासन अग्रिम में राशि का भुगतान मुआवज़े के रूप में करेगा।

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 65 में बताये प्रावधानों के अनुसार यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य शासन के सब्सिडी देने के निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं होगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश के दिनांक से, आयोग द्वारा निश्चित किया गया टैरिफ लागू होगा।

(2) विधि के प्रावधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार करे बिना, आयोग प्रथमतः टैरिफ अवधारित करेगा। इसके बाद, उपभोक्ताओं की संबन्धित श्रेणियों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार कर, सब्सिडाईज्ड टैरिफ निकाला जायगा।

45. अनुज्ञप्तिधारी का कार्य निष्पादन

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण विचार योग्य बात होगी तथा आयोग द्वारा अधिलिखित मानक निष्पादन विनियम के पालन की सीमा से इसकी विवेचना की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी के कार्य निष्पादन के आधार पर, आयोग, लाभ और दण्ड दिये जाने की व्यवस्था पुनःस्थापित कर सकेगा।

अध्याय–4
प्रकीर्ण

अन्तःकालीन उपबन्ध

46. ये विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम की धारा 172 के अधीन एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत राज्य विद्युत मण्डल पर लागू होंगे। उक्त धारा 172 के प्रावधानों के अनुरूप जबतक मण्डल कार्यरत रहेगा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की लागत को एक साथ ध्यान में रखकर फुटकर टैरिफ अवधारित किया जायेगा।

47. व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो पर्याप्त आंकड़ो के अभाव में न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो।

(2) इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परंतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

(3) स्पष्टतः या परोक्ष रूप से आयोग द्वारा किसी मामले को निपटाने में अथवा अधिनियम के अंतर्गत किसी शक्ति का उपयोग करने, जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनें हैं, ये विनियम अवरोधक नही होंगे, तथा ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों को उस रीति में, जिसे आयोग उचित समझे, निपटायेगा।

48. कठिनाई हटाने शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कार्य हाथ में ले या स्वयं कर सकता है अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कार्य करने या उपायों को करने के निर्देश दे सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाई निराकरण के प्रयोजन हेतु आवश्यक व समीचीन हैं।

49. संशोधन शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंधो में परिवर्तन, परिवर्धन, उपांतरण या संशोधन किसी भी समय आयोग कर सकता है। यदि आवश्यक समझा गया तो राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति को ध्यान में रखते हुये, विनियमों में संशोधन किया जा सकता है।

नोटः– इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के. रूपवानी)
सचिव

अवमूल्यन अनुसूची
आस्तियां विवरणे

1	2	3	4	5
ए.	पूर्ण हक अंतर्गत भूमि स्वामित्व	अपरिमित	–	
बी.	पट्टे में ली गई भूमि			
	(ए) भूमि में निवेश हेतु	पट्टे की अवधि अथवा पट्टा समनुदेशन पर शेष अवधि।	–	
	(बी) क्लियरिंग स्थल की लागत हेतु	पट्टे की अवधि स्थल क्लियरिंग तिथि पर	–	
सी.	अस्तिसां खरीदी गई नई			
	(ए) संयंत्र नीव सहित उत्पादन केन्द्र में संयंत्र व मशीनरीः–			
	(1) जल विद्युत	35	2.57	90
	(2) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. व वेस्ट हीट रिकव्हरी बायलर्स/संयंत्र	25	3.60	90
	(3) डीजल–विद्युत व गैस संयंत्र	15	6.00	90
	(बी) कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग जल प्रणाली	25	3.60	90
	(सी) हाइड्रालिक वर्क्स फार्मिंग पार्ट आफ हाइड्रो–इलेक्ट्रिक सिस्टम इन्क्लूडिंग			
	(1) बांध, स्पीलवेज वियर्स, नहर रिइन्फोटर्ड कान्क्रीट फलूम्स व साइफन्सै	50	1.80	90
	(2) रिइफोर्स कान्क्रीट पाइप लाइन, स्लूस गेट, सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइन, स्टील (सर्ज टैंक) हाइड्रालिक कन्ट्रोल वाल्व व अन्य हाइड्रालिक वर्क्स।	35	2.57	90
	(डी) निर्माण व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स–स्थायी प्रकृति, जिसका विवरण ऊपर नहीं हैः–			
	(1) कार्यालय व प्रदर्शन कक्ष	50	1.80	90
	(2) ताप–विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	25	3.60	90
	(3) जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	35	2.57	90
	(4) लकड़ी ढ़ांचा जैसा अस्थायी उत्पादन	5	18.00	90
	(5) कच्ची सड़क से भिन्न सड़क	50	1.80	90
	(6) अन्य	50	1.80	90
	(ई) ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफामर्स उप–केन्द्र उपस्कर व अन्य नियत उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):–			
	(1) ट्रांसफार्मर्स (फाउन्डेशन सहित) 100 किली वोल्ट एम्पियर्स व उससे अधिक युक्त	25	3.60	90
	(2) अन्य	25	3.60	90
	(एफ) स्विचगेयर, केवल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
	(जी) लाइटनिंग अटेस्टर्स :			

1	2	3	4	5
	(1) केन्द्र टाइप	25	3.60	90
	(2) खंभा टोइप	15	6	90
	(3) सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	35	2.57	90
	(एच) बैटरियाँ	5	18	90
	(1) जायंट वाक्सेज व डिसकनेक्टेड बाक्सेज सम्मिलित भूमिगत केबल	35	2.57	90
	(2) केबल डक्ट प्रणाली	50	1.80	90
	(आई) सपोर्ट सम्मिलित ओव्हरहेड लाइन			
	(1) 66 किलोवाट से उच्चतर नाममात्र वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात आपरेटिंग पर लाइन	35	2.57	90
	(2) 13.2 किलोवोल्ट पर उच्चतर परंतु 66 किलो वाट से अधिक नहीं, नाममात्र वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट आपरेटिंग पर लाइन	25	3.60	90
	(3) इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट आलंब	25	3.60	90
	(4) संसधित लकड़ी आलंब	25	3.60	90
	(जे) मीटर्स	15	6.00	90
	(के) स्वचलित यान	15	18.00	90
	(एल) वातानुकूलित संयंत्र			
	(1) स्थैतिक	15	6.00	90
	(2) सुवाह्य	05	18.00	90
	(एम) (1) कार्यालयीन फर्नीचर व फिटिंग	15	6.00	90
	(2) कार्यालय साज समान	15	6.00	90
	(3) आंतरिक वायरिंग सहित फिटिंग व उपकरण	15	6.00	90
	(4) सड़क लाइट फिटिंग	15	6.00	90
	(ओ) किराये पर दिया गया उपकरणः–			
	(1) मोटर से भिन्न	5	18.00	90
	(2) मोटर	15	6.00	90
	(पी) संचार उपकरण			
	(1) रेडियों तथा उच्चतर फ्रिक्वेंसी केरियर प्रणाली	15	6.00	90
	(2) टेलिफोन लाइन व टेलिफोन	15	6.00	90
	(क्यू) सेकण्ड हेंड (पुराना) क्रय आस्तियां तथा वे अस्तियां अन्यथा अनुसूची उपलब्ध नहीं हैं।			